रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1705] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 2019/ज्येष्ठ 11, 1941
No. 1705] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 2019/JYAISTHA 11, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **31** मई, 2019

का.आ. 1910(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व 1411.6094 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3.20399 वर्ग किलोमीटर का वन आबादी क्षेत्र भी शामिल है और तमिलनाडु राज्य में इरोड जिले के सथ्यामंगलम तालुक/तहसील

में स्थित है। सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व एक तरफ मोयार घाटी के माध्यम से मुदुमलई बाघ रिज़र्व, बांदीपुर बाघ रिज़र्व और नीलगिरि उत्तर वन संभाग से बाघों की बिखरी संख्या समायोजित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसी तरह दूसरी ओर हसनूर रेंज के साथ बीटीआर बाघ रिज़र्व और कोल्लेगल वन संभाग को जोड़ता है;

और, यह बाघ रिज़र्व दो प्रमुख परिदृश्यों अर्थात् पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है जो बाघों के लिए एक विशाल क्षेत्र सुनिश्चित करता है और इस प्रकार मेटा संख्या के बीच जीन के आदान-प्रदान के माध्यम से दीर्घकालिक संरक्षण उपाय को बढ़ाता है। इसलिए, वन्यजीव बहुतायत के पारिस्थितिकी और संरक्षण मूल्य को देखते हुए, यह हमारे वन्यजीवों विशेष रूप से बाघ (प्रमुख प्रजातियों) के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

और, रिज़र्व में वनस्पति और जीवजन्तुओं की विविधता है। मुख्य वनस्पतियों में ऑस्ट्रेलियाई वेट्टल *(अकैशिया औरिकलिफॉर्मिटस),* करून्गाइ *(अकैशिया चुंद्रा),* बान्नी *(अकैशिया फेर्रूगिनिया),* करू इंदु *(अकैशिया ईंटसिआ),* वेल्वेलाम *(अकैशिया लेउकोफलोइ)* आदि शामिल हैं; रिज़र्व में जीवजन्तु में बोनट मैकक्वे *(मकाका रेदीअटे),* हनुमान लंगूर *(सेम्नोपिइथेकुस इंटेल्लुस),* स्लेंडर लोरिस *(लोरिस टरदीगरादुस),* बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), बनबिलार *(फैलिस चाउस),* छोटा भारतीय सिवेट *(विवेर्रीकुला इंडिया),* सामान्य नेवला *(हेरपेस्टेस* एडवर्ड्स*),* स्मौथ कोटेड ओटर *(लुतरा* पेर्स्पिकिलाता*),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), आदि शामिल हैं; अभयारण्य में विद्यमान कुछ सामान्य पक्षी छोटा ग्रेब *(तचयबातुस रूफिकोल्लिस),* स्पॉट बिल पेलिकन *(पलेकनुस फिलिप्पेइंसिस),* लिटिल जलकाग *(मिकरोकारबो निगेर),* ग्रेट जलकाग *(फलाक्ररोकोरक्स करबो),* भारतीय डार्टर *(अंहींगा मेलानोगेस्टेर),* लिटिल एग्रेट *(एगरेट्टा गारजेट्टा),* ग्रे बगुला *(अरदिया किनेरिया),* बैंगनी बगुला *(अरदेया पुरपुरिया),* लार्ज इग्रेट *(अरदेया अल्बा)* आदि हैं;

और, इसके बड़े समीपवर्ती वन और निकटवर्ती वन क्षेत्रों से जुड़ाव के कारण, इस बाघ रिज़र्व में लुप्तप्राय प्रजातियों की बहुतायत है जैसे हाथी, गौर, काला हिरण, बाघ, तेंदुआ, व्हाइट बैक और लॉंग बिल्ड गिद्ध, लकड़बग्घा और आदि हैं। रिज़र्व में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियां हैं। दुर्लभ प्रजातियों के उदाहरण कदुक्काई *(टर्मिनालिया चेबुला),* साम्बिरानी *(बोस्वेल्लिया सेर्राटा),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),* और (*कैनिस ऑरियस*) आदि हैं; संकटापन्न प्रजातियों के उदाहरण इंथा पेनाइ *(कैकस किरकिनलिस एल),* बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रड्यूस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), वाइट समर्थित गिद्ध *(गयप अफ्रिकनस)* आदि हैं। रिज़र्व में विद्यमान स्थानिक प्रजातियां सीमई मखमल *(अकैशिया फेर्रूगिनिया डीसी),* चोक्काला *(एग्लाइया इलाईगनोइडा (जुस्स.) बेंथ),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), आदि हैं;

और, यह बाघ रिज़र्व जलवायु परिस्थितियों के व्यापक रेंज के कारण पर्यावासों के विषमरूप मोज़ेक जैसे समतल भूमि पर झाड़ीदार और तटीय वन, ढलानों और पहाड़ी पठार पर पर्णपाती और मिश्रित पर्णपाती, पहाड़ियों पर उच्च उन्नताश सावना और पहाड़ी ढलानों के बीच अर्ध सदाबहार पैच से समृद्ध है। इसलिए, इस क्षेत्र में बाघों की दीर्घावधिक उत्तरजीविता पर विचार करते हुए, सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है;

और, कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति, वानिकी संचालन में स्थानीय समुदायों का कार्य और पारिस्थितिकी-विकास क्रियाकलापों में स्थानीय लोगों की मुख्य धारा के कारण वनों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो गई है। बाघ रिज़र्व अधिसूचना के बाद गैर-इमारती लकड़ी वन उत्पादन का संग्रह प्रोत्साहित नहीं किया जाता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु राज्य में सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर शून्य किलोमीटर से 1.00 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 187.603 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र **उपाबंध-II क-ङ** में है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III (क)** और **(ख)** में है।

(5) प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण,

(ii) वन और वन्यजीव,

(iii) कृषि,

(iv) राजस्व,

(v) शहरी विकास,

(vi) पर्यटन,

(vii) ग्रामीण विकास,

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,

(ix) नगरपालिका,

(x) पंचायती राज, और

(xi) लोक निर्माण विभाग,

(xii) राजमार्ग,

(xiii) तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.**– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन

तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**—आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.**–

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) बाघ रिज़र्व की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए बाघ रिज़र्व की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.**- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक

पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात.-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण**.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी: (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्ट की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि

		या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	कृषि या अन्य प्रयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक मानीटरी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का गठन	पदनाम
1.	जिला कलेक्टर, इरोड	अध्यक्ष;
2.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
3.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
5.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
7.	जिला वन अधिकारी और उप निदेशक, सथ्यामंगलम	सदस्य;

6.विचारार्थ विषय.— (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/13/2018-ईएसजेड]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

उत्तर	कर्नाटक राज्य के बी आर टी बाघ रिज़र्व, एम एम पहाड़ी वन्यजीव अभयारण्य।
उत्तर-पूर्व	इरोड वन संभाग का उत्तर बरगुर रिज़र्व वन।
पूर्व	इरोड संभाग का दक्षिण बरगुर रिज़र्व वन।
दक्षिण-पूर्व	टी.एन. पलयम खण्ड के कुछ ग्राम । (0 किलोमीटर)
दक्षिण	सथ्यामंगलम और भवानीसागर खण्ड के कुछ ग्राम।
दक्षिण-पश्चिम	मुदुमलाई बाघ रिज़र्व, नीलगिरि उत्तर वन संभाग और कोयम्बटूर वन संभाग के बफर जोन।
पश्चिम	कर्नाटक राज्य के बंदीपुर बाघ रिज़र्व।
उत्तर-पश्चिम	तलावाडी खण्ड के कुछ ग्राम।

उपाबंध- II क

सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

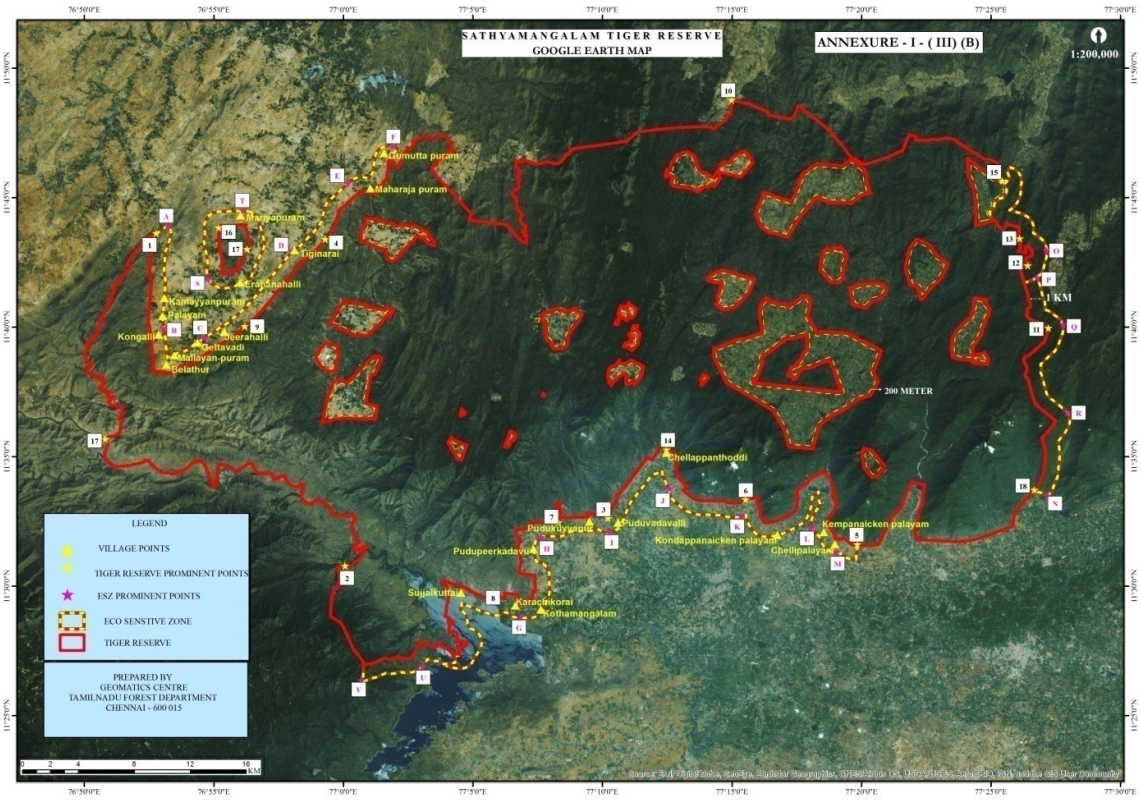

उपाबंध - IIख

सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानिचत्र

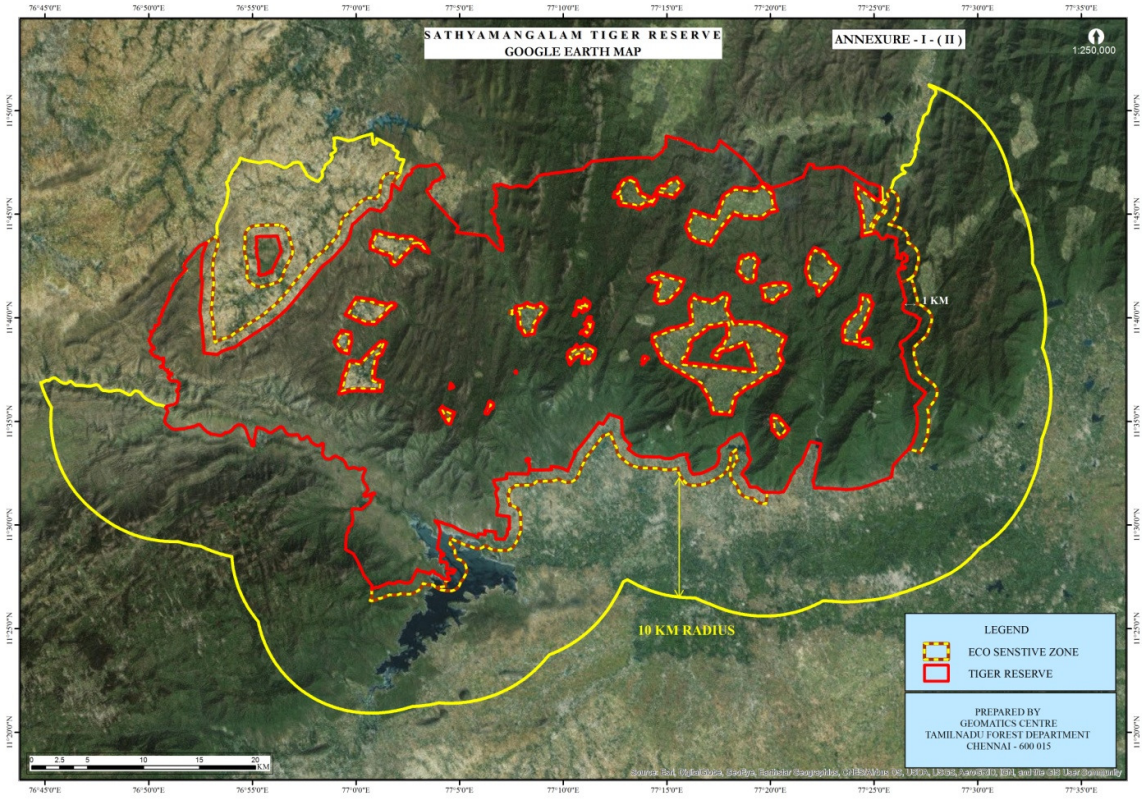

उपाबंध - IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

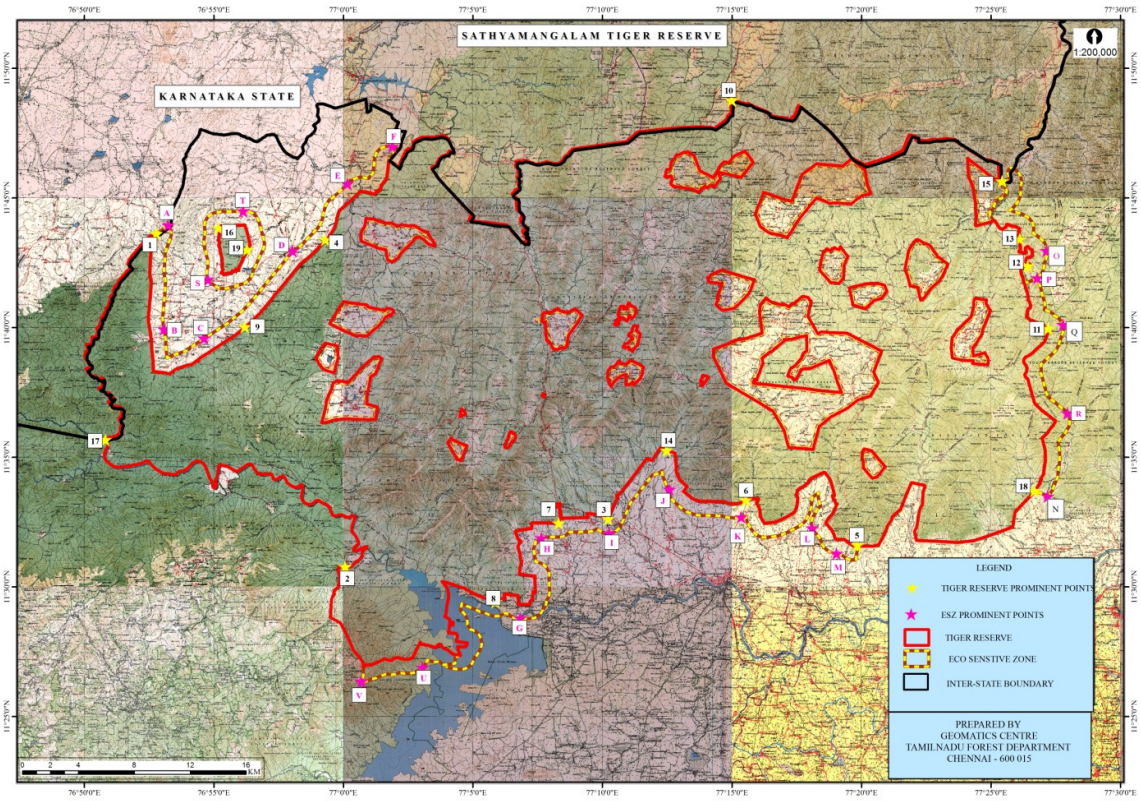

उपाबंध - IIघ

10 किलोमीटर बफर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भू-उपयोग मानचित्र

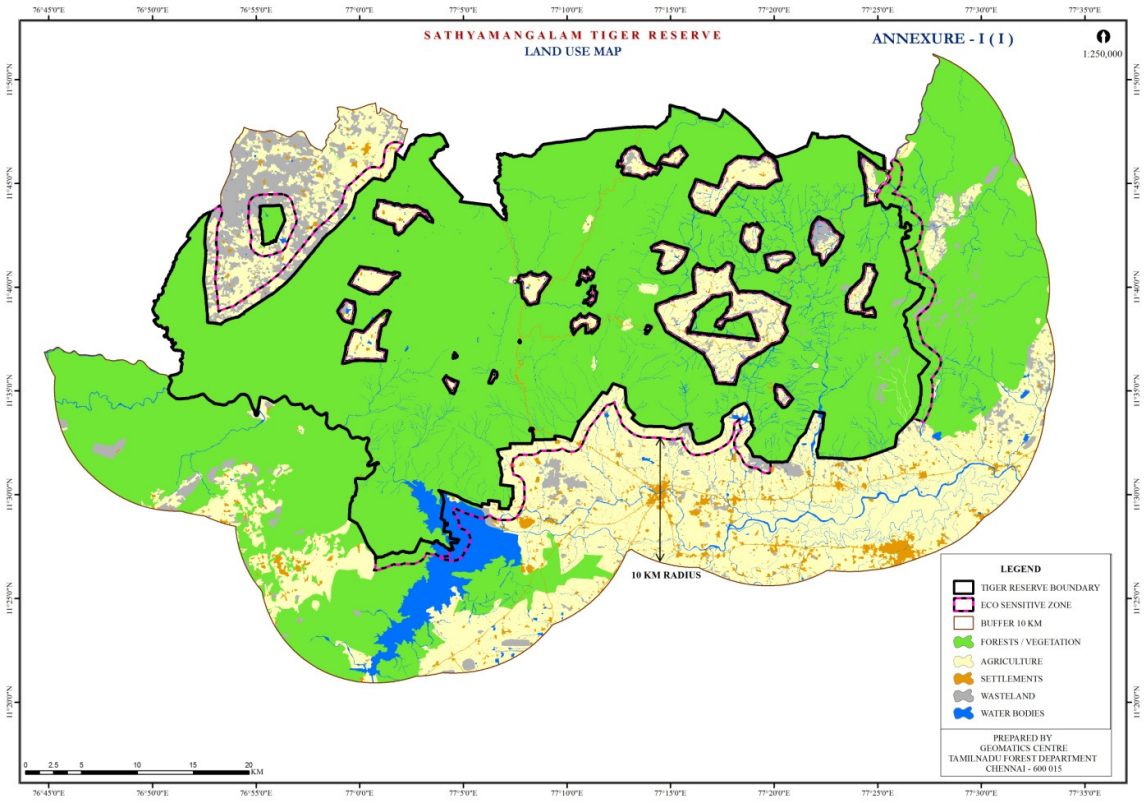

उपाबंध- IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

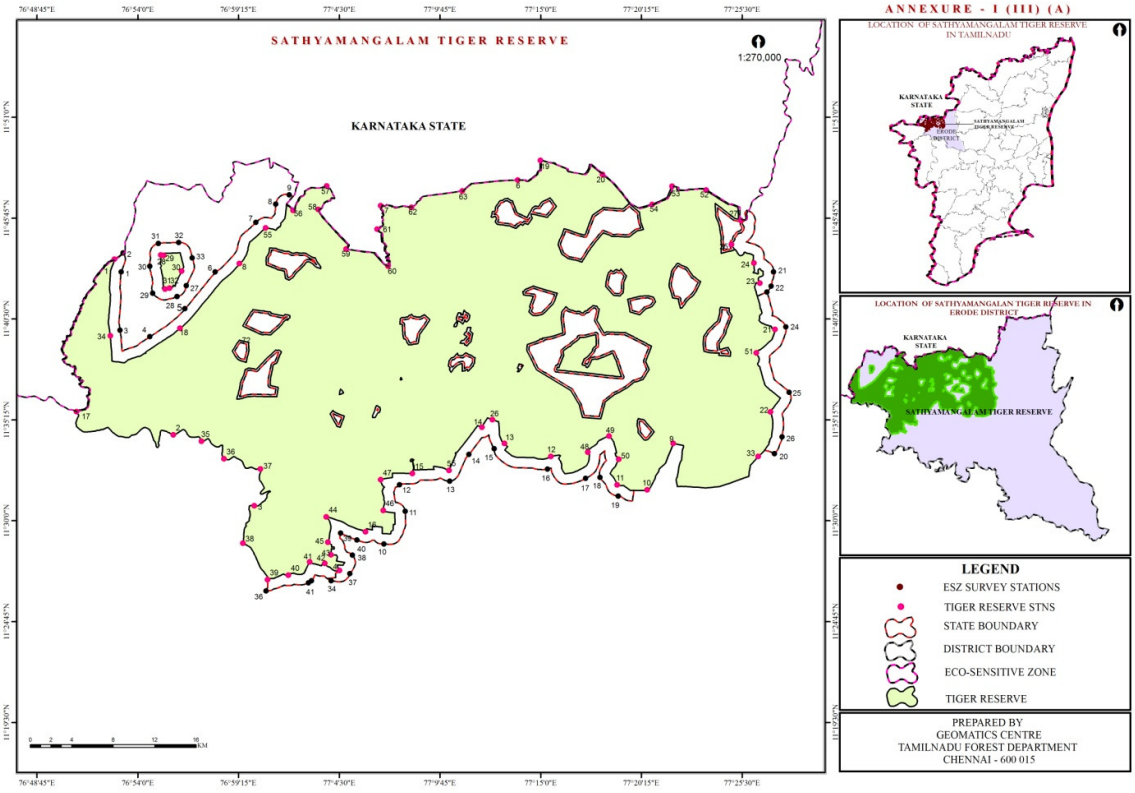

उपाबंध-III

सारणी क : सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व, तमिलनाडु के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (डी एम एस)	देशांतर (डी एम एस)
1	1	एट्टुकट्टु कोविल	11° 43' 56.7"	76° 53' 13.9"
2	2	कल्लाम्पालायम ग्राम	11° 30' 46.6"	77° 0 '42.5"
3	3	एन एच 209	11° 32' 37.3"	77° 10' 13.3"
4	4	पलार नदी	11° 42' 22.5"	77° 26' 25.4"
4	4	मेल्गुट्टीपुराम	11° 43' 23.0"	76° 59' 19.4"
5	5	कनाइ पल्लाम	11° 31' 36.6"	77° 20' 33.4"
6	6	पुलियानकोम्बाई	11° 33' 21.0"	77° 15' 32.2"
7	7	राजन नगर से बननारी सड़क	11° 32' 28.0"	77° 8 '18.3"
8	8	बइरा बैट्टा नहर बांध	11° 27' 24.7"	77° 4 '29.6"
9	9	मक्कामाल्लाप्पां पल्लाम	11° 40' 1.2"	76° 56' 12.0"
10	10	बाइलुर ग्राम सीमा	11° 48' 45.7"	77° 14' 59.3"
11	11	पट्टुमांजाई कुलाम	11° 39' 57.5"	77° 27' 13.5"
13	13	मुलाम्पट्टी के पास पलार नदी	11° 43' 24.6"	77° 26' 6.6"
14	14	सेल्लापा दोद्दी	11° 35' 16.0"	77° 12' 29.0"
15	15	नाइक्काल बेट्टा	11° 45' 36"	77° 25' 35.2"
16	16	कुम्बाप्पान कोविल सीमा 1	11° 43' 50.2"	76° 55' 11.5"
17	17	बेला केरे	11° 43' 0.2"	76° 56' 17.1"
18	18	कोदनुर पल्लाम	11° 33' 20.8"	77° 26' 20.4"

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	मुख्य बिंदुओं की पहचान	मुख्य बिंदु की स्थिति/दिशा	अक्षांश (डी एम एस)	देशांतर (डी एम एस)
1	ए	एट्टुकट्टु कोविल	11° 43' 37.7"	76° 52' 47.5"
2	बी	पलायम से कांगल्ली सड़क	11° 39' 56.1"	76° 53' 4.7"
3	सी	गेट्टावाडी से गुंदानापुरम सड़क	11° 39' 35.2"	76° 54' 38.0"
4	डी	टीगनाराई से नेयदालापुरम सड़क	11° 42' 56.6"	76° 58' 4.1"

5	ई	हीरियापुरम से तालावादय सड़क	11° 45' 32.7"	77° 16' 33.6"
6	एफ	गुमतपुरम तालाब	11° 46' 58.6"	77° 18' 58.3"
7	जी	भवानीसागर नहर	11° 28' 47.3"	77° 6 '50.1"
8	एच	पुदुपिरकादावु मंदिर	11° 31' 52.9"	77° 7 '39.8"
9	आई	पुदुवाम्पालयम मंदिर	11° 32' 4.1"	77° 10' 15.7"
10	जे	वरापलाई पल्लाम मंदिर	11° 33' 45.4"	77° 12' 35.2"
11	के	सतयामांगलाम से पुलियांकोम्बाई सड़क	11° 32' 41.9"	77° 15' 21.3"
12	एल	पेरूमपल्लाम	11° 32' 15.9"	77° 18' 6.4"
13	एम	वेल्लापराई पल्लाम	11° 31' 17.6"	77° 19' 3.0"
14	एन	मप्पिल्लाई कुंदु	11° 33' 29.5"	77° 27' 11.8"
15	ओ	मुलाम्पट्टी चिन्नापल्लाम	11° 42' 57.7"	77° 27' 9.0"
16	पी	नेल्ली कुट्टाई	11° 41' 54.6"	77° 26' 47.7"
17	क्यू	पट्टुमांजकुलाम पल्लाम	11° 40' 6.2"	77° 27' 47.5"
18	आर	मदेस्वरान कोइल	11° 36' 41.8"	77° 27' 57.4"
19	एस	ततनूर जंक्शन	11° 41' 51.2"	76° 54' 47.2"
20	टी	मरलापुरम	11° 44' 29.3"	76° 56' 7.4"
21	यू	सुंदाकदु	11° 26' 53.3"	77° 30' 34.2"
22	वी	कोम्बरमालई फुट हिल्स	11° 26' 21.4"	77° 6 '53.6"

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ सथ्यामंगलम बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम	तहसील/ तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस)	देशांतर (पू) (डीएमएस)
1	सुज्जालकुट्टाइ	सथ्यामंगलम	इरोड	11° 29' 45.4"	77° 4' 32.1"
2	कराचीकोराई	सथ्यामंगलम		11° 29' 15.8"	77° 6' 38.3"
3	कोथामंगलम	सथ्यामंगलम		11° 29' 6.3"	77° 7' 37.4"
4	पुदुपैरकदवय	सथ्यामंगलम		11° 31' 27.4"	77° 7' 20.1"
5	पुदुकुय्यानुर	सथ्यामंगलम		11° 32' 30.2"	77° 9' 29.9"
6	पुदुवादावाल्लीइ	सथ्यामंगलम		11° 32' 27.7"	77° 1' 36.2"
7	चैल्लाप्पंथोट्टी	सथ्यामंगलम		11° 35' 9.5"	77° 1' 148.5"

8	कोंडाप्पानेकेन पलायम	सथ्यामंगलम		11° 31' 59.2"	77° 1' 405.4"
9	कम्पनीकन पलायम	सथ्यामंगलम		11° 32' 5.8"	77° 1' 513.2"
10	चेल्लीपालायम	तालवाद्य		11° 31' 37.5"	77° 1' 538.8"
11	कमय्यांपुरम	तालवाद्य		11° 41' 7.9"	76° 5' 185.4"
12	पलायम	तालवाद्य		11° 40' 26.3"	76° 5' 181.4"
13	कोंगल्ली	तालवाद्य		11° 39' 43.0"	76° 5' 171.9"
14	बेलाथुर	तालवाद्य		11° 38' 33.4"	76° 5' 190.4"
15	माल्लायन-पुरम	तालवाद्य		11° 38' 55.2"	76° 5' 208.0"
16	गेट्टावाडी	तालवाद्य		11° 39' 24.7"	76° 5' 262.2"
17	जैराहाल्ली	तालवाद्य		11° 39' 49.2"	76° 5' 324.2"
18	तिगिनाराई	तालवाद्य		11° 42' 58.9"	76° 5' 487.0"
19	महाराजा पुरम	तालवाद्य		11° 45' 22.0"	77° 1' 3.0"
20	गुमुट्टा पुरम	तालवाद्य		11° 46' 43.6"	77° 1' 34.0"
21	इराहानाहल्ली	तालवाद्य		11° 41' 43.7"	76° 5' 361.2"
22	मारीयापुरम	तालवाद्य		11° 44' 19.3"	76° 5' 361.8"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31th May, 2019

S.O. 1910(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Sathyamangalam Tiger Reserve is spread over an area of 1411.6094 sq km which also includes 3.20399 sq km of forest settlement area and is located in Sathyamangalam Taluk / Tehsil of Erode District in the State of Tamil Nadu. Sathyamangalam Tiger Reserve is highly critical to accommodate the spill over population of tigers from the Mudumalai Tiger Reserve, Bandipur Tiger Reserve and Nilgiri North Forest Division through Moyar valley on one hand and similarly BTR Tiger Reserve and Kollegal Forest Divisions connecting on the other side with Hassanur Range;

AND WHEREAS, this Tiger Reserve is acting as a Bridge between the two major landscapes i.e. Western Ghats and Eastern Ghats which ensures a vast territory for Tiger and thus enhancing long term conservation measure through exchange of genes between meta populations. Therefore, considering the ecological and conservation value of wildlife wealth, it is necessary to conserve and protect the area around Sathyamangalam Tiger Reserve as Eco-Sensitive Zone for the better management and protection of our wildlife especially tiger (flagship species);

AND WHEREAS, the reserve has diversity of flora and fauna. The major flora includes Australian wattle *(Acacia auriculiformits),* Karungali *(Acacia chundra),* Banni *(Acacia ferruginea),* Karu indu *(Acacia intsia),* Velvelam *(Acacia leucophloea) etc*; the fauna in the reserve includes Bonnet macaque (*Macaca radiate),* Hanuman langur *(Semnopithecus entellus),* Slender Loris *(Loris tardigradus),* Tiger *(Panthera tigris),* Leopard *(Panthera pardus),* Jungle cat *(Felis chaus),* Small Indian Civet *(Viverrricula india),* Common mongoose *(Herpestes edwardsi),* Smooth coated otter *(Lutra perspicillata),* Striped hyena *(Hyaena hyaena),* Jackal *(Canis aureus)* etc; some of common birds present in the sanctuary are Little Grebe *(Tachybatus ruficollis),* Spot Billed Pelican *(Pelecanus philippensis),* Little Cormorant *(Microcarbo niger),* Great Cormorant *(Phalacrocorax carbo),* Indian Darter *(Anhinga melanogaster),* Little Egret *(Egretta garzetta),* Grey Heron *(Ardea cinerea),* Purple Heron *(Ardea purpurea),* Large Egret *(Ardea alba)* etc.;

AND WHEREAS, owing to its large contiguous forest and connectivity with adjoining forest areas, this Tiger Reserve has plethora of endangered species such as Elephant, Gaur, Blackbuck, Tiger, Leopard, White backed and long billed vulture, Hyena and etc. The reserve has rare, endangered and threatened species. Examples of rare species are Kadukkai *(Terminalia chebula),* Sambirani *(Boswellia Serrata),* Striped Hyena *(Hyaena hyaena) and (Canis aures)* etc; examples of threatened species are Entha panai *(Cycas circinalis L),* Tiger *(Panthera tigris),* Leopard *(Panthera pardus),* Sloth bear *(Melursus ursinus)* White Backed Vulture *(Gype africanus)* etc. The endemic species present in the reserve are Seemai velvel *(Acacia ferruginea DC),* Chokkala *(Aglaia elaeagnoidea (Juss.) Benth),* Striped Hyena *(Hyaena hyaena),* Jackal *(Canis aures)* etc.;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is richly endowed with heterogeneous mosaic of habitats such as scrub and riparian forest on the plains, deciduous and mixed deciduous on the slopes and hill plateau, high altitude savannah on the hills and semi evergreen patches between hill slopes, due to wide range of climatic conditions. Therefore, considering long term survival of tiger population in this region, the Sathyamangalam Tiger Reserve is strategically important;

AND WHEREAS, agriculture is the major source of livelihood. Majority of the people work as agricultural labourers. Dependency on forest has gradually reduced due to supply of Liquefied petroleum gas, engagement of local communities in forestry operations and main streaming of local peoples in Eco-development activities. Collection of Non-Timber Forest Produce is not encouraged after tiger reserve notification;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), hereafter in this notification referred to as the Environment Act read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent varying from zero kilometre to 1.00 kilometre around the boundary of Sathyamangalam Tiger Reserve in the State of Tamil Nadu as the Sathyamangalam Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer to 1.00 kilometer around the Sathyamangalam Tiger Reserve. The area of the Eco-Sensitive Zone is 187.603 square kilometers.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended at **Annexure I.**

(3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure IIA-E.**

(4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure III (A) and (B)** respectively.

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

(i) Environment,
(ii) Forest and Wildlife,
(iii) Agriculture,
(iv) Revenue,
(v) Urban Development,
(vi) Tourism,
(vii) Rural Development,
(viii) Irrigation and Flood Control,
(ix) Municipal
(x) Panchayati Raj
(xi) Public Works Department,
(xii) Highways;
(xiii) Tamil Nadu State Polluton Control Board

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. small scale industries not causing pollution;
iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. promoted activities and given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism. -

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific

scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and amendments thereto and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste. - Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) The Bio Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E-Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities: (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August 2008 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P. (C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise etc.,	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of Major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whoever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building by e-laws to meet the residential needs of the local residents. i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

		ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities; iii. small scale industries not causing pollution termed as per the classification done by the Central Pollution Control Board; iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and v. promoted activities listed in this notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b)Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non -hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro based industry production products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microliters, etc.,	Regulated as per the applicable laws.
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/ effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/ effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-Tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.

C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of Degraded Land/ Forest/ Habitat.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Erode	Chairman;
2.	A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government	Member;
3.	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
4.	An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government	Member;
5.	A representative from State Public Works Department	Member;
6.	A representative from State Pollution Control Board	Member;
7.	District Forest Officer and Deputy Director, Sathyamangalam	Member Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per Performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2018-ESZ]

Dr. SATISH. C. GARKOTI Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

North	BRT Tiger Reserve, MM Hills wildlife sanctuary of Karnataka State.
North-East	North Bargur RF of Erode Forest Division.
East	South Bargur RF of Erode Division.
South-East	Few villages of T.N.Palayam Block. (0 km)
South	Few villages of Sathyamangalam and Bhavanisagar Block
South-West	Buffer zone of Mudumalai Tiger Reserve, Nilgiri North Forest Division and Coimbatore Forest Division.
West	Bandipur Tiger Reserve of Karnataka State
North-West	Few villages of Talavady Block.

ANNEXURE- II A

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE

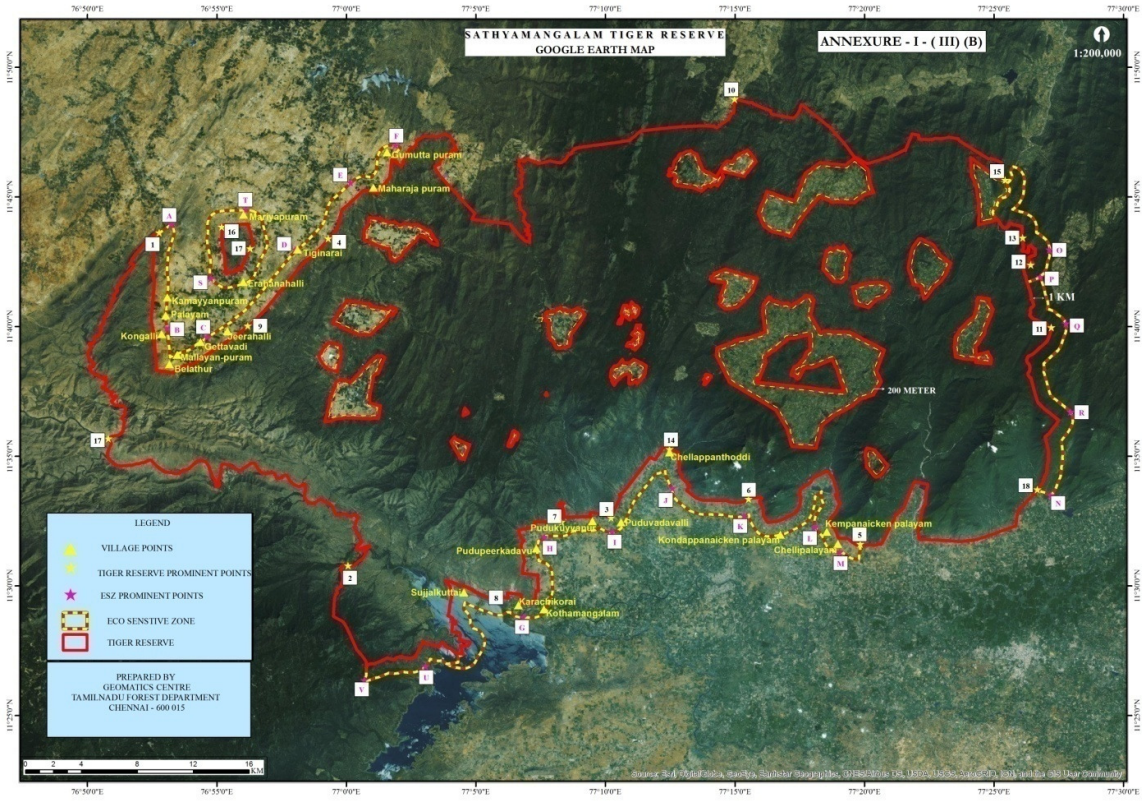

ANNEXURE- II B

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE

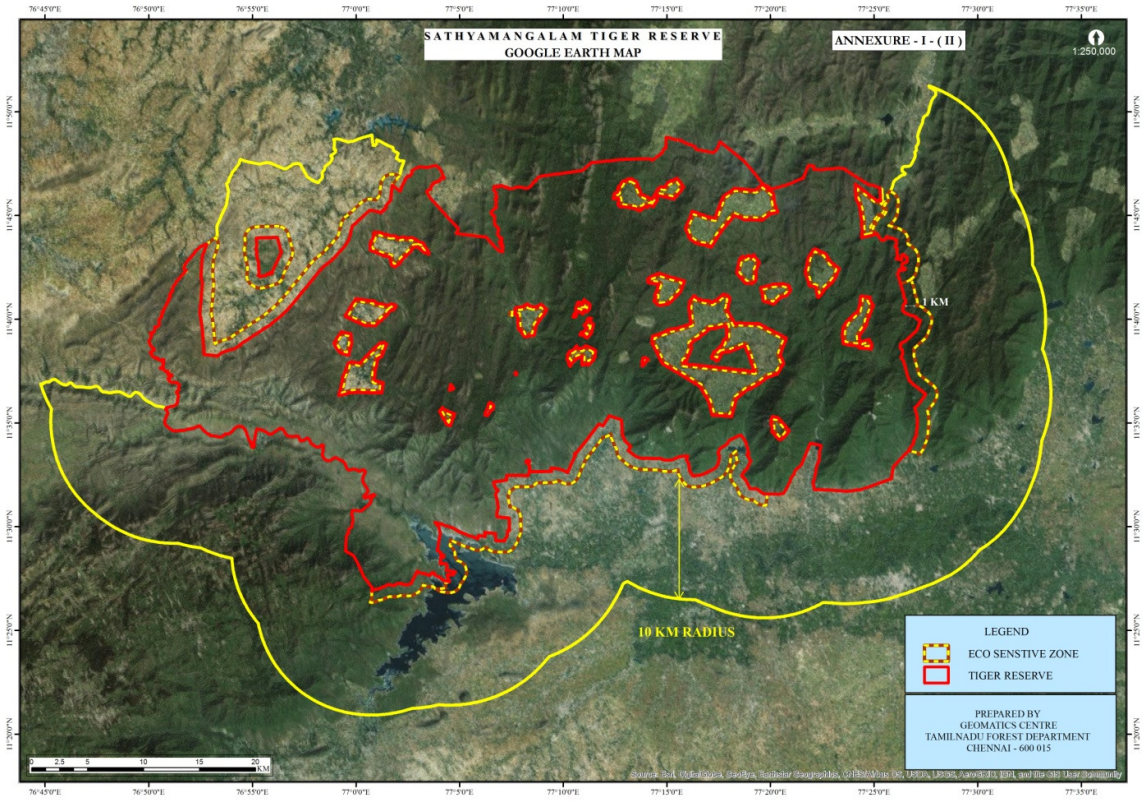

ANNEXURE- II C

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

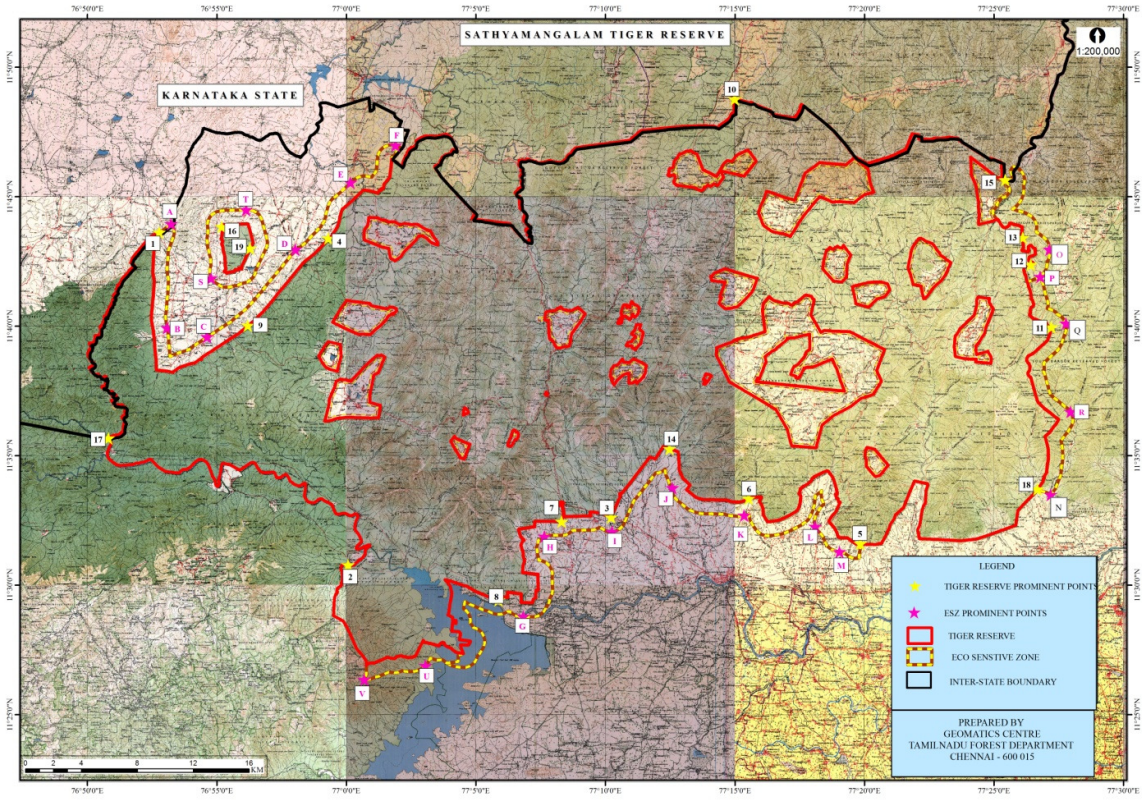

ANNEXURE- II D

LANDUSE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH 10 KM BUFFER

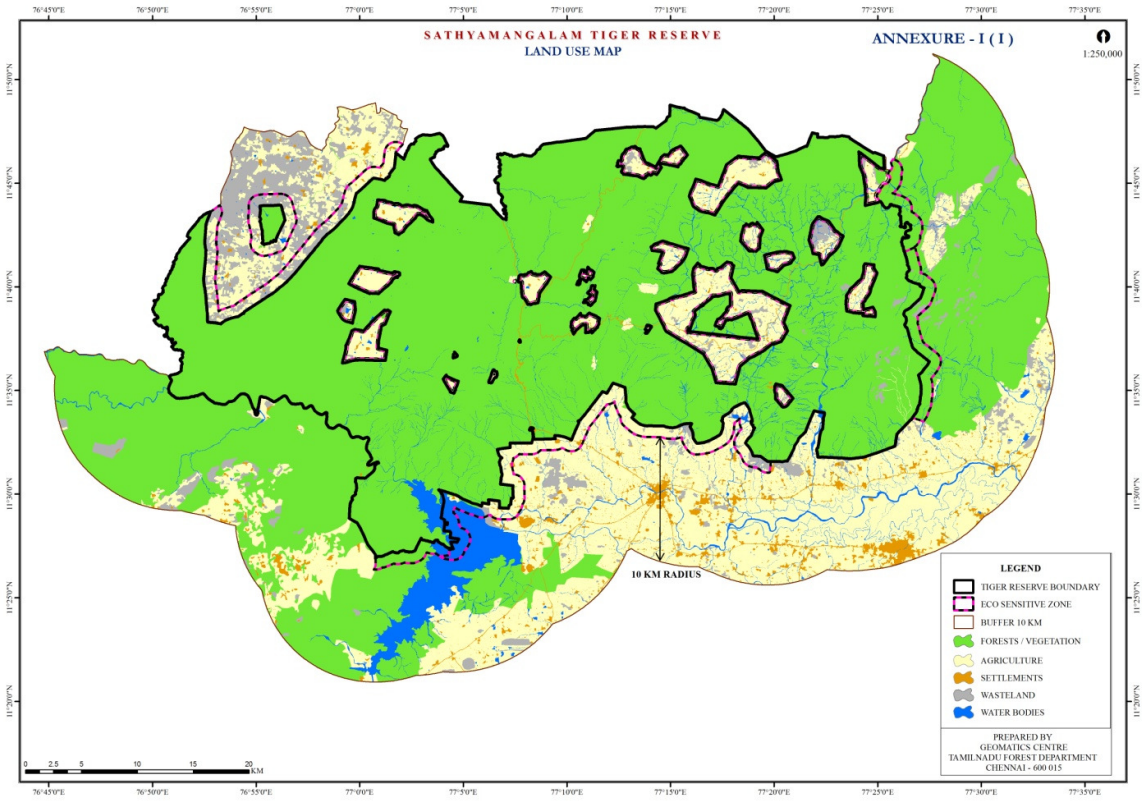

ANNEXURE- II E

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

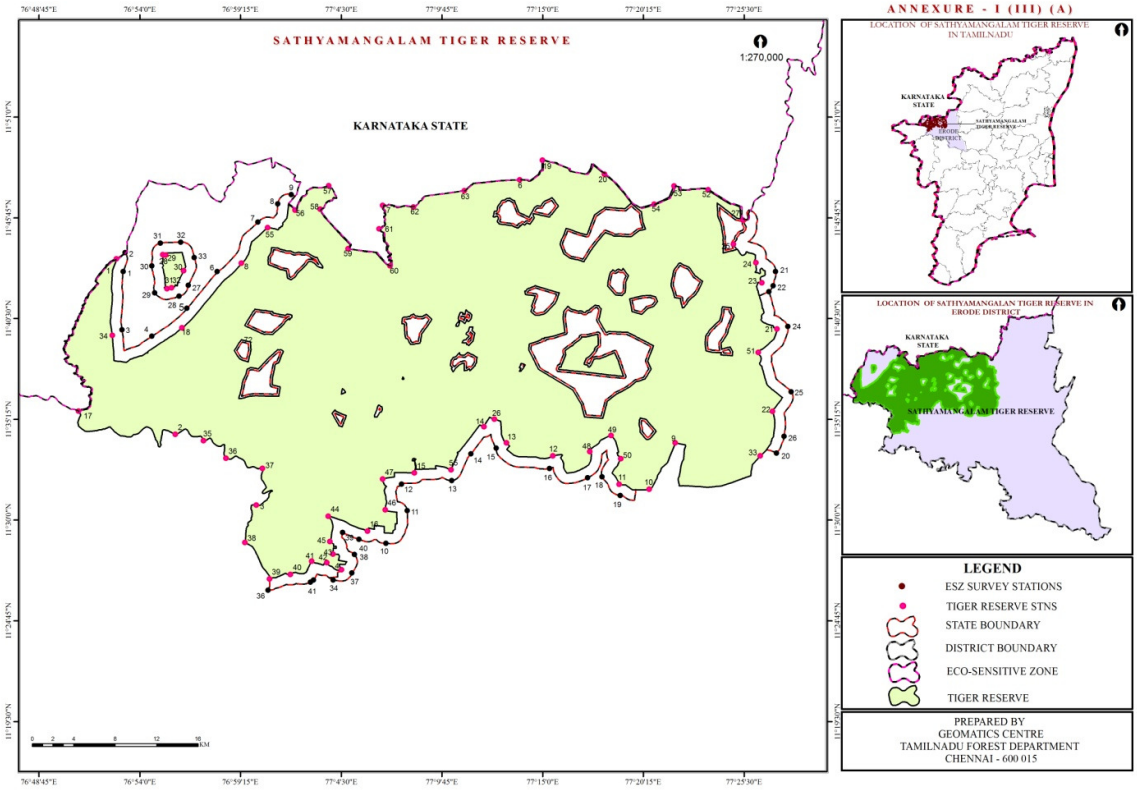

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Sathyamangalam Tiger Reserve, Tamil Nadu

S. No.	Identification of Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	1	Ettukattu kovil	11° 43' 56.7"	76° 53' 13.9"
2	2	Kallampalayam village	11° 30' 46.6"	77° 0 '42.5"
3	3	NH 209	11° 32' 37.3"	77° 10' 13.3"
4	4	Palar River	11° 42' 22.5"	77° 26' 25.4"
4	4	Malguttipuram	11° 43' 23.0"	76° 59' 19.4"
5	5	Kanai pallam	11° 31' 36.6"	77° 20' 33.4"
6	6	Puliyancombai	11° 33' 21.0"	77° 15' 32.2"
7	7	Rajan Nagar to Bannari road	11° 32' 28.0"	77° 8 '18.3"
8	8	Baira betta near dam	11° 27' 24.7"	77° 4 '29.6"
9	9	Makkamallappan pallam	11° 40' 1.2"	76° 56' 12.0"
10	10	Bailur village boundary	11° 48' 45.7"	77° 14' 59.3"
11	11	Pattumanjai kulam	11° 39' 57.5"	77° 27' 13.5"
13	13	Palar River near Mulampatti	11° 43' 24.6"	77° 26' 6.6"
14	14	Sellapa Doddi	11° 35' 16.0"	77° 12' 29.0"
15	15	Naikkal betta	11° 45' 36"	77° 25' 35.2"
16	16	Kumbappan Kovil boundary 1	11° 43' 50.2"	76° 55' 11.5"
17	17	Bela kere	11° 43' 0.2"	76° 56' 17.1"
18	18	Kodanur pallam	11° 33' 20.8"	77° 26' 20.4"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone

S. No	Identification of Prominent Points	Location / Direction of Prominent point	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	A	Ettakattu kovil	11° 43' 37.7"	76° 52' 47.5"
2	B	Palayam to Kongalli Road	11° 39' 56.1"	76° 53' 4.7"
3	C	Gettavadi to Gundanapuram road	11° 39' 35.2"	76° 54' 38.0"
4	D	Tignarai to Neydalapuram Road	11° 42' 56.6"	76° 58' 4.1"
5	E	Hiriapuram to Talavady road	11° 45' 32.7"	77° 16' 33.6"
6	F	Gumtapuram pond	11° 46' 58.6"	77° 18' 58.3"
7	G	Bhavanisagar canal	11° 28' 47.3"	77° 6 '50.1"
8	H	Pudupirkadavu temple	11° 31' 52.9"	77° 7 '39.8"
9	I	Puduvampalayam to Vadavalli junction	11° 32' 4.1"	77° 10' 15.7"
10	J	Varapalai pallam temple	11° 33' 45.4"	77° 12' 35.2"
11	K	Sathyamangalam to Puliyancombai road	11° 32' 41.9"	77° 15' 21.3"
12	L	Perumpallam	11° 32' 15.9"	77° 18' 6.4"

13	M	Vellaparai pallam	11° 31' 17.6"	77° 19' 3.0"
14	N	Mappillai kundu	11° 33' 29.5"	77° 27' 11.8"
15	O	Mulampatti Chinnapallam	11° 42' 57.7"	77° 27' 9.0"
16	P	Nelli kuttai	11° 41' 54.6"	77° 26' 47.7"
17	Q	Pattumanjkulam pallam	11° 40' 6.2"	77° 27' 47.5"
18	R	Madeshwaran koil	11° 36' 41.8"	77° 27' 57.4"
19	S	Tatanur junction	11° 41' 51.2"	76° 54' 47.2"
20	T	Marlapuram	11° 44' 29.3"	76° 56' 7.4"
21	U	Sundakadu	11° 26' 53.3"	77° 30' 34.2"
22	V	Komberimalai Foot hills	11° 26' 21.4"	77° 6 '53.6"

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGE AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SATHYAMANGALAM TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

S. No.	Village	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS)	Longitude (E) (DMS)
1	Sujjalkuttai	Sathyamangalam	Erode	11° 29' 45.4"	77° 4' 32.1"
2	Karachikorai	Sathyamangalam		11° 29' 15.8"	77° 6' 38.3"
3	Kothamangalam	Sathyamangalam		11° 29' 6.3"	77° 7' 37.4"
4	Pudupeerkadavu	Sathyamangalam		11° 31' 27.4"	77° 7' 20.1"
5	Pudukuyyanur	Sathyamangalam		11° 32' 30.2"	77° 9' 29.9"
6	Puduvadavalli	Sathyamangalam		11° 32' 27.7"	77° 1' 36.2"
7	Chellappanthoddi	Sathyamangalam		11° 35' 9.5"	77° 1' 148.5"
8	Kondappanaicken palayam	Sathyamangalam		11° 31' 59.2"	77° 1' 405.4"
9	Kempanaicken palayam	Sathyamangalam		11° 32' 5.8"	77° 1' 513.2"
10	Chellipalayam	Talavady		11° 31' 37.5"	77° 1' 538.8"
11	Kamayyanpuram	Talavady		11° 41' 7.9"	76° 5' 185.4"
12	Palayam	Talavady		11° 40' 26.3"	76° 5' 181.4"
13	Kongalli	Talavady		11° 39' 43.0"	76° 5' 171.9"
14	Belathur	Talavady		11° 38' 33.4"	76° 5' 190.4"
15	Mallayan-puram	Talavady		11° 38' 55.2"	76° 5' 208.0"
16	Gettavadi	Talavady		11° 39' 24.7"	76° 5' 262.2"
17	Jeerahalli	Talavady		11° 39' 49.2"	76° 5' 324.2"
18	Tiginarai	Talavady		11° 42' 58.9"	76° 5' 487.0"
19	Maharaja puram	Talavady		11° 45' 22.0"	77° 1' 3.0"
20	Gumutta puram	Talavady		11° 46' 43.6"	77° 1' 34.0"
21	Erahanahalli	Talavady		11° 41' 43.7"	76° 5' 361.2"
22	Mariyapuram	Talavady		11° 44' 19.3"	76° 5' 361.8"

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings (mention noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.06 19:16:59 +05'30'